प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला।

यादि कमांक 236–व–5–2016/7823
चण्डीगढ़ दिनांक 24/4/2016

विषय: **Diversion of 0.0159 ha forest land for access to retail outlet of B.P.C. Ltd. along Pundri-Rajaund road, km. 20-21, L/side, at village Pai, under forest and District Kaithal, Haryana.(6565)**

संदर्भः– आपका पत्र कमांक डी–III–6565/7298, दिनांक 11.03.2016.

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा संदर्भाधीन 0पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2 विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतू **0.0159 ha.** वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने पर प्रदान की जाती है:–

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

(ii) प्रस्ताव के अनुसार इस स्कीम में 03 वृक्ष बाधक है। अत 03 वृक्ष से अधिक वृक्ष काटे नही जायेगे।

(iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **RF Bichhiyan Rect. No. 56** पर प्रयोक्ता एजैन्सी से प्राप्त 41862/–रू (**Forty one thousand eight hundred sixty two only.**) की राशि से 32 पौधे लगा कर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधरोपण इस पत्र के साथ जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर– हो जाना चाहिए।

(iv) प्रतिपूर्ति पौधारोपण के साथ–साथ उपयुक्त पौधारोपण पहुच मार्ग, विभाजन द्वीप व अन्य खाली स्थान पर प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान विनियमो के अनुसार किया जायेगा।

(v) प्रवेश एवं निकास को छोड कर बाकी हिस्से पर कुछ बुटेदार तथा सजावटी पेड पौधे लगाये जाने चाहिए तथा इस भूमि का कोई व्यापारिक प्रयोग नही होना चाहिए और न ही इस पर कोई निर्माण कार्य होना चाहिए।

(vi) इस प्रस्ताव को 15 वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त करनी होगी।

(vii) पर्यावरण एव वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.07.2014 को जारी दिशा–निर्देशो का पालन अवश्य किया जायेगा।

(viii) पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (**Periphery**) पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोडकर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर **Light Crown** पेडो का वृक्षारोपण किया जाये।

(ix) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।

(x) **Supreme Court** के आदेशानुसार जब कभी भी **NPV** की राशि बढाई जायेगी तो उस बढी हुई **NPV** की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी।

(xi) साथ लगते वन और वन भूति को किसी तरह का कोई नुकसान नही पहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेगें।

(xii) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नही किया जायेगा।

(xiii) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नही जायेगा।

(xiv) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नही लगाया जायेगा।

(xv) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेगे जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरो पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

63

(xvi) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिको तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईन्धन उपलब्ध करवायेगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।

(xvii) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुक्ष्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणि समहू के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।

(xviii) स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये कम संख्या वाले 4 फिट उचे सीमेंट के खम्बो द्वारा चिन्हित की जायेगी।

(xix) कूडा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।

(xx) अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवो के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है।

(xxi) प्रयोक्ता एजैन्सी उपरोक्त शर्तो की वार्षिक स्व–अनुपालना रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा को नियमित रूप से भेजेगी।

(xxii) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेने विभाग की जिम्मेवारी होगी।

[signature] 25/4/16

विशेष सचिव,
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

प्रतिलिपिः–

1. वन मण्डल अधिकारी, कैथल।

पृ०क्र० 288-90 दि० 26-4-16

एवं प्रति उपायुक्त महोदय कैथल को उनके पृ० क्र० 2713-22 UPA दि० 29-4-2015 के संदर्भ में भेजते हुए सूचित किया जाता है कि Spl. Sec. प्रधान सचिव हरि० सरकार वन विभाग ने इस प्रस्ताव में 0.0159 ha वन भूमि प्रयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी है। व०रा०अ० पुण्डरी को [illegible] निर्देश दिये जाते हैं कि प्रधान सचिव हरि. सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों की पालना User Agency से दृढ़ता से करवाई जाए। THBPC Ltd Ambala को सूचनार्थ प्रेषित है।

116
26-4-16

[signature]
वन मण्डल अधिकारी
कैथल